



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : PA/5761
दिनांक : 16/8/2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ ।

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ ।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अपर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या-2418/सत्तर-1-2022 दिनांक 10.08.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने-अपने महाविद्यालय/संस्थान/विभागों में शासन के पत्र के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. विश्वविद्यालय, प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक १० अगस्त, 2022

विषय:- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-१, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18 जुलाई, 2022 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न पत्र के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय व सम्बद्ध महाविद्यालयों के पंजीकृत छात्रों के डेटाबेस व अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

अपर मुख्य सचिव कार्यालय,
में प्राप्त दिनांक 22/7/22

692 NPPSHED/2022

संख्या- 975/77-1-2022-156/2021

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र०शासन।

वि.स.-(MK)

संख्या 2418 / सत्तर-1-2022

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० डेस्क, गोमती नगर, लखनऊ।

22-7-22

(अवधनाथ पाण्डेय)
वि.स. सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2022

विषय- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित योजना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त किए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में "प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना" लागू की गई, जिसके क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 1502/77-1-2021 दिनांक 06.10.2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए। उक्त पायलट योजना के अन्तर्गत लगभग 04 माह की अवधि में 12.32 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन क्रय कर विभिन्न जनपदों को उपलब्ध कराए गए जिनका वितरण मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभिन्न जनपदों में कराया गया। उक्त योजना से युवाओं में अच्छा संदेश गया, जिसके उत्साही एवं अच्छे परिणाम सामने आए। इसी क्रम में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अन्तर्गत 2.00 करोड़ टैबलेट अथवा स्मार्टफोन का निःशुल्क वितरण, किए जाने का संकल्प लिया गया है।

2- राज्य सरकार का उद्देश्य उक्त योजना के अन्तर्गत युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन का न सिर्फ निःशुल्क वितरण करना है बल्कि उनको शैक्षिक

श्री प्रभात
25/07/2022

प्रज्ञा प्रकाश
26/7/2022
16:53PM

पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं तदोपरान्त विभिन्न शासकीय/गैर शासकीय तथा स्वावलम्बन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर सेवारत/व्यवसायगत करने में सहायक होना है। इस संबंध में मे. इन्फोसिस द्वारा युवा वर्ग के डिजिटल सशक्तीकरण एवं स्किल डेवलपमेन्ट के उद्देश्य से सीएसआर ऐक्टिविटी के अन्तर्गत "स्प्रिंगबोर्ड" प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ लगभग 12,000 कोर्सेज/प्रोग्राम्स निःशुल्क उपलब्ध हैं। "स्प्रिंगबोर्ड" प्लेटफार्म को क्रियान्वित किये जाने के उद्देश्य से इन्फोसिस एवं नोडल संस्था यूपीडेस्को के मध्य एक एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया है। एमओयू के अनुसार प्रारम्भ में इस प्लेटफार्म को पायलट के रूप में दस जनपदों- वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गोण्डा एवं मिर्जापुर के चयनित संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित कराया जा रहा है। इसे चरणबद्ध ढंग से अन्य जनपदों में भी विस्तारित किया जायेगा। वितरित डिवाइसेस का अधिकाधिक प्रयोग छात्रोपयोगी कन्टेन्ट की डिलीवरी के लिए हो सके, इसके लिए यथासमय अन्य शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं से भी सहयोग लिया जायेगा।

3- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक त्रिचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं-

- (1) यह योजना आगामी 05 वर्षों के लिए लागू की जा रही है।
- (2) पायलट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुबन्धित आपूर्तिकर्ताओं से अवशेष 5,38,017 उपकरणों की आपूर्ति आरम्भ किए जाने तथा उक्त पर होने वाले अनुमानित व्यय लगभग रु0 673 करोड़ का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से किया जाना है। इसके अतिरिक्त अनुबन्धित मात्रा में निविदा के प्राविधानों के अनुसार 25 प्रतिशत अतिरिक्त आपूर्ति के सम्बन्ध में यथासमय सक्षम स्तर से निर्णय होने पर उस पर होने वाले व्यय का वहन भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से किया जाएगा।

(3) लाभार्थियों का चयन :

1. आगामी 05 वर्षों के लिए प्रस्तुत योजना में भी पायलट योजना वर्ष 2021-22 के अनुसार ही लाभार्थी वर्ग सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि लाभार्थी वर्ग में न तो कोई आयु सीमा निर्धारित है और न ही आय सीमा। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश में उक्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में पंजीकृत होंगे, वे चाहे प्रदेश के हों अथवा प्रदेश के बाहर के, उन्हें डिवाइस वितरण किया जायेगा। 2021-22 में लागू पायलट योजना की भांति लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय समय पर सम्मिलित करने एवं किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है, किसे स्मार्टफोन प्रदान किया जाना है तथा स्मार्टफोन/टैबलेट के वितरण हेतु लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं।
2. यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में पोर्टल पर पंजीकृत अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर डिवाइसेस उपलब्ध न होने के कारण सभी छात्रों को डिवाइसेस उपलब्ध नहीं करायी जा सकी हैं। अतः डिजीशक्ति पोर्टल पर पंजीकृत पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष (2021-22) में अध्ययनरत रहे ऐसे छात्र, जो वर्तमान में उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा जिनको डिवाइसेज का वितरण विगत वर्ष नहीं किया जा सका है, उन्हें भी डिवाइसेज का वितरण प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23) में किया जाना है।
3. लाभार्थियों का चिन्हांकन प्रदेश के सम्बन्धित विभागों के अधीनस्थ संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इन्जीनियरिंग/चिकित्सा, पॉलीटेक्निक, कौशल विकास मिशन, आई.टी.आई. आदि में अध्ययनरत/पंजीकृत तथा प्रशिक्षणरत छात्र-छात्राओं से सम्बन्धित संस्थानों के प्रमुखों के सहयोग से, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से, सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विचाराधीन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले युवाओं को राज्य सरकार की अन्य किसी योजना (स्कूली शिक्षा को छोड़कर) के अन्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त न हुए हों। संकलित किये जाने वाले समस्त डाटा

को पोर्टल पर अपलोड किये जाने, पुष्टिकृत किये जाने एवं उसकी शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विभाग/विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्धित संस्था प्रमुख का होगा।

4. योजनान्तर्गत निर्मित डिजीशक्ति पोर्टल को पुनः अपडेशन के लिए खोल दिया जायेगा तथा उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी वर्ग के पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(4) योजना क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू की गई पायलट योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु "डिजीशक्ति वेब पोर्टल" सृजित किया गया है। उक्त पोर्टल का प्रयोग वर्तमान योजना के क्रियान्वयन हेतु भी किया जाना है। इस पोर्टल में निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

1. विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लक्षित तथा उसमें संस्थावार, कक्षावार, विषयवार अध्ययनरत छात्रों की संख्या।
2. अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में नियत प्रपत्र पर सम्पूर्ण विवरण।
3. संस्था को आवंटित टेबलेट/स्मार्ट फोन के आपूर्तिकर्ता द्वारा किये गये डिस्पैच तथा संस्था द्वारा प्राप्ति सम्बन्धी पूर्ण जानकारी।
4. अध्ययनरत छात्रों को टेबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण तथा उसकी प्राप्ति एवं सत्यापन की सम्पूर्ण जानकारी।
5. पोर्टल को विभिन्न स्तरीय प्राधिकृत अधिकारियों/छात्र-छात्राओं द्वारा एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी/पासवर्ड का प्राविधान।
6. जनपद स्तर पर आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा स्थापित सेवा केन्द्रों का विवरण।
7. वारंटी अवधि के दौरान टेबलेट/स्मार्ट फोन के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के प्रबन्धन एवं निस्तारण की व्यवस्था।
8. संस्था स्तर से वितरण हेतु नामित नोडल अधिकारी/समिति का विवरण।
9. अन्य सुसंगत विवरण जिसे योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझा जाए।

(5) स्मार्ट फोन/टेबलेट के क्रय के सम्बन्ध में कार्ययोजना:

1. टेबलेट/स्मार्टफोन के क्रयें तथा पोर्टल के निर्माण एवं उसके संचालन के लिए पूर्व की भांति यूपी डेस्को को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पोर्टल के संचालन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए नोडल एजेन्सी को योजना अवधि में ₹0-7.50 करोड़ की धनराशि प्रशासकीय व्यय के मद में तथा योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा वितरण के लिए जनपद/अन्य विभागों/अन्य संस्थाओं के स्तर पर धनराशि ₹0-7.50 करोड़ सम्बन्धित जिला स्तर/अन्य विभागों/अन्य संस्थाओं के स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित की जाएगी। इस सीमा के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/जनपदों हेतु अनुमन्य सीमाओं का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन के स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
3. स्मार्ट फोन/टेबलेट क्रय जैम पोर्टल के मध्यम से किया जाएगा तथा इसकी विशिष्टियों का निर्धारण करते समय इस सम्बन्ध में Meity द्वारा समय-समय पर तद्विषयक निर्गत विशिष्टियों का संज्ञान लिया जायेगा।
4. टेबलेट/स्मार्ट फोन का क्रय चूंकि अधिक मात्रा में किया जाना है अतः बिड के उपरान्त प्राप्त न्यूनतम क्रय मूल्य पर आवश्यकतानुसार एक से अधिक वेन्डरों को आपूर्ति हेतु नियमानुसार आबद्ध किया किया जाएगा जिससे आपूर्ति एवं वितरण समय से हो सके।

(6) तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन एवं दायित्व

स्मार्टफोन्स/टेबलेट्स की विशिष्टियों के निर्धारण बिड डाक्यूमेन्ट्स की तैयारी तथा प्राप्त बिडों के तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण हेतु सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य सचिव एम०डी०, यूपीडेस्को होंगे। इस समिति में विशेष सचिव आई०टी० एवं इले० विभाग उ०प्र० शासन, आई.आई.टी. कानपुर, सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स, स्टेट ई-मिशन टीम, एकेटीयू, एनआईसी, वित्त विभाग तथा न्याय विभाग के प्रतिनिधि होंगे। यह समिति स्मार्टफोन्स/टेबलेट्स हेतु सर्वथा उपयुक्त विशिष्टियों का चयन कर बिड अभिलेखों की संस्तुति करेगी तथा बिड मूल्यांकन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर प्री बिड की कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपनी

संस्तुतियाँ पुनः बिड मूल्यांकन समिति को प्रेषित करेगी। सक्षम स्तर से बिड अभिलेखों का अनुमोदन प्राप्त होने तथा यूपीडेस्को द्वारा जेम के माध्यम से बिड आमंत्रण के उपरान्त प्राप्त बिडों का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कर अपनी संस्तुतियाँ बिड मूल्यांकन समिति को प्रेषित करेगी।

(7) बिड मूल्यांकन समिति का गठन एवं दायित्व

पूर्व की भांति अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में बिड मूल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा। इसके सदस्य सचिव एम0डी0, यूपीडेस्को होंगे। इस समिति में न्याय, वित्त, /नियोजन, एनआईसी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से अन्यून स्तर के हों, नामित किये जाएंगे। यह समिति तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा प्राप्त बिड डाक्यूमेन्ट्स का परीक्षण कर बिड आमंत्रित करने पर अनुमोदन प्रदान करेगी। प्री बिड के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के उपरान्त अन्तिम बिड डाक्यूमेन्ट्स पर मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुति प्रेषित करेगी। बिड प्राप्त होने पर तकनीकी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के उपरान्त उनका परीक्षण करते हुए आपूर्ति संस्था के चयन के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुति प्रेषित करेगी।

(8) परियोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन एवं दायित्व

पूर्व की भांति मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन के स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा जो विभिन्न विभागों/उनके अधीनस्थ संस्थाओं तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों से समन्वय कर योजना को समय से लागू कराने में आ रही बाधाओं का निराकरण सुनिश्चित करायेगी तथा नीतिगत संशोधनों/निर्णयों हेतु अपनी संस्तुतियाँ प्रदान करेगी। इस समिति के सदस्य सचिव- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र0 शासन होंगे।

(9) नामित नोडल संस्था के दायित्व:-

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाए गए वेब पोर्टल का अनुरक्षण तथा संचालन सुनिश्चित कराना।

2. तकनीकी विशेषज्ञ समिति तथा शासन स्तरीय समितियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
3. जेम पोर्टल के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित करना।
4. प्री बिड मीटिंग आयोजित कराना।
5. तकनीकी विशेषज्ञ समितियों के अनुसार फाइनल बिड डाक्यूमेन्ट तैयार कराकर शासन को प्रेषित कराना।
6. शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर चयनित आपूर्तिकर्ता को एल.ओ.आई. निर्गत करना।
7. चयनित आपूर्तिकर्ता को साथ अनुबन्ध करना।
8. अनुबन्ध का क्रियान्वयन कराना।
9. यह सुनिश्चित करना कि आपूर्तिकर्ता मांग के अनुसार स्मार्टफोन्स/टैबलेट्स ससमय लक्षित संस्थाओं को पहुँचाएं।
10. प्री-डिस्पैच इन्स्पेक्शन तथा पोस्ट डिस्पैच इन्स्पेक्शन सुनिश्चित कराना।
11. आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपदवार सर्विस सेन्टर स्थापित कराया जाना।
12. शासन के अनुमोदन के उपरान्त प्री-लोडेड कन्टेन्ट्स आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाना एवं अन्य कार्य जो शासन स्तर से समय समय पर योजना के क्रियान्वयन के लिए दिये जाएं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।
13. समस्त औचारिकताएं पूर्ण कराकर आपूर्तिकर्ता संस्था को भुगतान सुनिश्चित करना।
14. समस्त अभिलेखों का रखरखाव तथा लेखा परीक्षा सुनिश्चित कराना।

(10) जनपद स्तरीय समिति का गठन एवं उसके दायित्व:

क- जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए निम्न समिति का गठन किया जायेगा:-

- | | |
|---|---------|
| 1. जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| 4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | सदस्य |
| 5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी | सदस्य |

6. जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य/सचिव
अभ्युक्ति- जिलाधिकारी यदि चाहें तो अपने विवेक से आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों के साथ-साथ विषय-विशेषज्ञ तथा कतिपय संस्थाओं के प्रमुखों को भी उक्त समिति में आमंत्रित कर सकते हैं।
- ख- उक्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे:-
1. चिन्हित संस्थाओं के लाभार्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप पर ससमय संकलित कराया जाना।
 2. आपूर्तिकर्ता तथा नोडल एजेंसी से समन्वय कर समय से आपूर्ति सुनिश्चित करना।
 3. जनपद में किस क्रम में स्मार्टफोन्स/टेबलेट्स का वितरण होना है, की रूपरेखा बनाना वितरण में यह सुनिश्चित किया जाना कि सम्बन्धित संस्था में सभी पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन्स/टेबलेट्स का वितरण सुगमतापूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ एक साथ हो।
 4. यह सुनिश्चित करना कि संबंधित संस्थानों के स्तर पर वितरण के संबंध में आवश्यक अभिलेख संरक्षित कर लिये गये हैं अथवा नहीं।
 5. संस्थाओं में टेबलेट/स्मार्ट फोन का वितरण मा0 प्रभारी मंत्री/मा0 सांसद/मा0 विधायक की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जाना।
 6. शासन द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
 7. वितरित किए जाने वाले टेबलेट/स्मार्ट फोन के पोस्ट डिस्पैच इन्स्पेक्शन का कार्य प्राथमिकता पर सुनिश्चित करना।

(11) लाभार्थी संस्था के प्राचार्य/प्रमुख के दायित्व:-

1. योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्था स्तर पर समिति का गठन एवं नोडल अधिकारी की तैनाती।
2. यह सुनिश्चित करना कि योजनान्तर्गत सभी लाभार्थियों का सही-सही डेटाबेस निर्धारित पोर्टल पर समय से अपलोड हो जाय।
3. आपूर्तिकर्ता संस्था से आपूर्ति प्राप्त कर उसके स्टोरेज तथा वितरण की व्यवस्था करना।

4. संस्था स्तर पर वितरण हेतु प्राप्त टेबलेट/स्मार्ट फोन को सुरक्षित रखा जाना एवं शासन के निर्देशानुसार वितरण की व्यवस्था कराना।
5. वितरण से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
6. उपलब्ध कराये जा रहे टेबलेट/स्मार्ट फोन के माध्यम से शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य से सम्बन्धित स्थानीय डिजिटल कन्टेन्ट तैयार कराना तथा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराना।
7. जिलाधिकारी/शासन को वांछित सहयोग प्रदान करना।

(12) सम्बन्धित विभागों के दायित्व:

1. लाभार्थियों के डेटाबेस की फीडिंग योजना हेतु निर्मित वेब पोर्टल पर कराया जाना एवं सम्पूर्ण डेटाबेस की शुद्धता बनाये रखना।
2. विभागीय स्तर पर अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से योजना को क्रियान्वित कराया जाना एवं नियमित अनुश्रवण करना।
3. समयान्तर्गत शासकीय योजनाओं एवं शिक्षण, प्रशिक्षण से सम्बन्धित अन्य relevant digital content को डिजिटली तैयार कर उपलब्ध कराया जाना।
4. लाभार्थियों का वितरित टेबलेट/स्मार्ट फोन के शिक्षण/शिक्षणोत्तर उपयोग को व्यापक बनाये जाने हेतु सतत प्रयास करना।
5. योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर प्राप्त टेबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण से पूर्व उन्हें सम्बन्धित संस्थाओं में सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था एवं निर्दिष्ट वितरण प्रक्रिया के अधीन अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से वितरण कराया जाना।

(13) सूचना विभाग का दायित्व:

टेबलेट/मोबाइल के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी छात्र/छात्राओं को हो सके इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से समन्वय करते हुए उनकी योजनाओं के बारे में डिजिटल कान्टेन्ट्स तैयार कराकर टेबलेट/मोबाइल के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जाये। सूचना विभाग द्वारा विभिन्न विभागों/संस्थाओं से समन्वय कर उनकी प्रचलित योजनाओं के बारे में कान्टेन्ट तैयार कराते हुए उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की

जायेगी। सूचना विभाग का यह भी दायित्व होगा कि वह समय समय पर प्राप्त डिजिटल कान्टेन्ट्स को अनवरत रूप से अपडेट भी करेंगे।

(14) प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 सहित आगामी 05 वर्षों के लिए लागू की जाती है। समय-समय पर भविष्य में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं।

(15) अनुमानित वित्तीय उपाशय एवं बजटीय प्राविधान :

1. प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के लिए वर्ष 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग के माध्यम से राजस्व लेखाशीर्ष "2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-800-अन्य व्यय-04-स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना-0401-टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण-42-अन्य व्यय" मद में रु 1500 करोड़ का बजट प्राविधान उपलब्ध कराया गया है।
2. योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के अतिरिक्त गैरबजटीय माध्यमों यथा विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी-C.S.R.) के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में लगभग रु0 1000.00 करोड़ वित्तीय संसाधन के रूप में जुटाने का प्रयास किया जायेगा। इस पर यथासमय मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्देश जारी किए जाएंगे।
- 4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों का अनुपालन समस्त संबंधित से तत्परतापूर्वक सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 975(1)/77-1-2022. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
7. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, विकास नगर, कानपुर।
8. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ०प्र०, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।
9. मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
10. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय, उ०प्र०, 10वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
11. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, गोकर्न नाथ रोड, डालीगंज, लखनऊ।
12. निदेशक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
13. सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल एण्ड एलाईड फेकल्टी, 5 सर्वपल्ली मार्ग, माल एवेन्यु, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव